



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2015/माघ 27, 1936

No. 359]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2015 /MAGHA 27, 1936

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2015

का.आ. 509(अ). —यतः दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में अधोउल्लिखित क्षेत्र के संबंध में सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.07.2014 की सं. का.आ. 1704 (ई) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं; और
3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 /जोन-जे की जोनल डेवलपमेंट प्लान में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
4. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

विषय	भूमि उपयोग (दि.मु.यो-2021/जेडडीपी-जे) के अनुसार मौजूदा भूमि उपयोग	परिवर्तित भूमि उपयोग	स्थल/क्षेत्र की सीमा
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय संचार और वित्त संस्थान, दूर संचार विभाग का 'सांस्थानिक सह आवासीय परिसर' की स्थापना करने के लिए गांव घिटोरनी, दिल्ली की राजस्व संपदा में स्थित 21.58 हेक्टेयर(53.31 एकड़) क्षेत्र का भू-उपयोग परिवर्तन	'आवासीय'	"सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (पीएस I)	उत्तर : फार्म हाऊस और खाली भूमि । पश्चिम: फार्म हाऊस और खाली भूमि । पूर्व: फार्म हाऊस और खाली भूमि । दक्षिण: राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 236 (महरौली-गुडगांव रोड) ।

शर्तें:

- (i) जोन जे की अधिसूचित विकास योजना के अनुसार मौजूदा महरौली-गुडगांव रोड (एनएच-236) 90 मी0 मार्गाधिकार का चौड़ाकरण हेतु उपबंध निर्धारित किए जाएंगे।
- (ii) संदर्भाधीन स्थल उस प्रस्तावित नगरीकरण योग्य क्षेत्र में स्थित है जहां अनिवार्य नगरीय सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। इन सुविधाओं को उस स्थल तक मुहैया कराने के समय तक, संबंधित एजेंसी/आबंटी को प्रस्तावित निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए अनिवार्य व्यवस्था स्वयं करनी होगी और जीरो डिस्चार्ज जोन के रूप में क्षेत्र विकसित करना अपेक्षित है।

[फा. सं. के-13011/4/2011-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13 February, 2015

S.O. 509(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder was published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. No. 1704 (E) dated 08.07.2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objection/suggestion has been received with regard to the proposed modifications; and
3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, have decided to modify the Master Plan for Delhi-2021/Zonal Development Plan of Zone-J.
4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021/Zonal Development Plan of Zone-J with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

Subject	Existing Land use as per MPD2021/ZDP of Zone 'J'	Changed to	Boundary of the Site/Area
Change of land use of an area measuring 21.58 ha. (53.31 Acres) situated in Revenue Estate of Village Ghitorni, Delhi for setting up of "Institutional-cum-Residential Complex" of National Institute of Communication & Finance, Department of Telecommunications, Ministry of Communications & IT, Govt. of India	"Residential"	"Public & Semi Public (PS1)"	North: Farm Houses & Vacant Land West: Farm Houses & Vacant Land East: Farm Houses & Vacant Land South: National Highway No. 236 (Mehrauli-Gurgaon Road)

Conditions:

- (i) Provisions shall be kept for widening of existing Mehrauli – Gurgaon Road (NH-236) 90 mt. RoW as per notified Zonal Development Plan of Zone J.
- (ii) The location of site under reference is in the proposed urbanizable area where essential municipal services are not available. Till such time these facilities are extended to the site, the concerned agency/allotee will have to make their own necessary arrangement to support the proposed development and is required to develop the area as a zero discharge zone.

[No. K-13011/4/2011-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.